

विज्ञापन क्रमांक 01/2016-2017

विषय :-अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षुओ (ट्रेड अप्रेंटिस) की भर्ती पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल ।

अप्रेंटिस एक्ट 1961 तथा अप्रेंटिस नियम 1962 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये भोपाल मंडल में **33 एक्ट प्रशिक्षुओ** की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। योग्य उम्मेदवार ऑनलाइन आवेदन दिनांक **09/12/2016** तक www.mponline.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफोर्मा में आवेदन करे

1.अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु विभागवार निम्न कोटियों में प्रशिक्षुओ की भर्ती निम्नानुसार पदों पर होगी –

क	ट्रेनिंग का स्थान	ट्रेड	पदों की संख्या					एनसीवीटी/एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आवश्यक आटीआई ट्रेड
			सामा	अजा	अजजा	अपिव	योग	
1	डीजल शेड	01. डीजल मेकेनिक	06	02	01	03	12	मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2) परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई जिसे एनसीवीटी/एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आवश्यक आटीआई ट्रेड हो
		02. इलेक्ट्रीशियन	03	01	00	01	05	
		03. वेल्डर	01	00	00	00	01	
		04. मशीनिस्ट	01	00	00	00	01	
2	टीआरएस शेड	01. इलेक्ट्रिक फिटर	05	01	01	03	10	मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2) परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई जिसे एनसीवीटी/एससीवीटी से मान्यता प्राप्त आवश्यक आटीआई ट्रेड हो
		02. वेल्डर	01	00	00	01	02	
		03. मशीनिस्ट	01	00	00	01	02	

1.1 शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में से फिटर हेतु केवल लोको मोटर अक्षम या सेरेवल पॉलिसी एवं बहरे विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे तथा इलेक्ट्रीशियन के पद हेतु केवल अस्थि दोष विकलांग उम्मीदवार (OH) जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे। विकलांगों के लिये आरक्षण नियमानुसार किया जायेगा ।

1.2 निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेंटिस हेतु भूतपूर्व कर्मचारी उनके बच्चों तथा आर्म फोर्स के जवानों के बच्चों हेतु 3 प्रतिशत (अर्थात 01 पद) आरक्षित रहेंगे (i) प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे जिसमें शांतिकाल के दौरान प्रभावित/अपंग भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे भी शामिल है (ii) भूतपूर्व कर्मचारियों के बच्चे (iii) सेवारत जवानों के बच्चे (iv) सेवारत अधिकारियों के बच्चे (v) भूतपूर्व कर्मचारी ।

2 आयु सीमा :

2.1 दिनांक 01.07.2016 को उम्मीदवार 15 वर्ष की आयु पूर्ण किया तथा 24 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होना चाहिये ।

2.2 अजा/अजजा उम्मीदवारों को 05 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है ।

2.3 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है ।

2.4 शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है ।

3 **शैक्षणिक योग्यता** : मान्यता प्राप्त संस्थान से 10 वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिये तथा संबंधित ट्रेड में आईटीआई जिसे एनसीवीटी/एससीवीटी से मान्यता प्राप्त हों ।

4. **प्रशिक्षण अवधि** : आरडीएटी/ कानपुर के नियमानुसार एवं रेलवे बोर्ड से जारी निर्देशानुसार (वर्तमान में 12 से 18 माह)।
5. **पारिश्रमिक** : वर्तमान प्रचलित नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
6. आवेदन शुल्क के रूप में रु 100/- एवं पोर्टल शुल्क के रूप में रु 70/- का भुगतान करना होगा, अजा/अजजा/शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मेदवारों को आवेदन शुल्क राशी रु 100/- देय नहीं है किन्तु पोर्टल शुल्क रु 70/- देय होगा।
7. आवेदन का तरीका: इच्छुक उम्मेदवार www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर होम पेज में जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं।
8. **अंतिम तिथि**: आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **09/12/2016** तक।
9. **भर्ती की प्रणाली** :
- 9.1 एकट प्रशिक्षुओं का चयन 10वीं या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) के प्राप्तियों एवं आईटीआई परीक्षा के प्राप्तियों के औसत के आधार पर किया जायेगा, अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन करने वाले सभी उम्मेदवारों की बने योग्यता सूची (मैरिट लिस्ट) के आधार पर होगा इसके लिए कोई लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा नहीं होगी।
- 9.2 अपेक्षित एकट अप्रे. की संख्या के 1.5 गुणांक के बराबर उम्मीदवार को मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा उनके शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा के लिये बुलावा जाएगा, जिनकी लिस्ट www.mponline.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी एवं ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।
- 9.3 उम्मीदवारों की अंतिम सूचीबद्धता मंडल के लिये प्रयोज्य उपयुक्त चिकित्सा जाँच के बाद ही होगा।
- 9.4 सत्यापन के लिय आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता/ट्रैविलिंग भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- 9.5 होस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाएगा तथा अप्रेंटिस एकट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

चयनित उम्मीदवारों की सूची पन्ने की वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in में अपलोड की जायेगी तथा मात्र इस सूची में शामिल उम्मीदवारों को ही डाक द्वारा सूचित किया जायेगा अन्य उम्मीदवारों से तत्संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

नोट :- यदि चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन होते हैं तो तदानुसार चयन का मापदंड अपनाया जायेगा।

10. एकट अप्रेंटिस का कोर्स पास करने के बाद रेलवे में नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है।
11. **ट्रेनिंग का करार** : उपयुक्त पदनाम वाले ट्रेडमार्क अप्रेंटिस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार या यदि अभी वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को एम्प्लायर के साथ अप्रेंटिसशिप का करार करना होगा।
12. **जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेंटिस एकट 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं**
13. **चिकित्सा प्रशिक्षण**
- 13.1 रेलवे द्वारा मेडीकल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद ही उम्मीदवार को प्रशिक्षण हेतु चयनित माना जाएगा। यदि वह शारीरिक दृष्टि से अनुत्तीर्ण हुआ तो उसकी शिक्षता समाप्त कर दी जाएगी एवं उसका कोई मुआवजा/कम्पन्सेशन नहीं दिया जाएगा।
- 13.2 प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षता करार समाप्त हो जाएगा। शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महानिदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी। सफल उम्मीदवार को राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा परन्तु प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है।

- 14 उम्मीदवार के आवेदन की स्वीकृति या उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा। यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वनीयता के सापेक्ष में गलत/झूठी सूचनाएं दी है तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निकाल दिया जाएगा।
15. प्रशिक्षण हेतु उम्मेदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा, उम्मेदवार अपने आवेदन हेतु निचे अंकित तिथियों के दौरान एम्.पी.ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की समय सीमा -

ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि	:	-----
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	09/12/2016

उम्मेदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा आवेदन के दौरान उम्मेदवार की ओर से कोई त्रुटी हुई हो तो प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

नोट: उम्मीदवार अपने ऑनलाइन भरे हुए आवेदन का प्रिंट अवश्य अपने पास संभाल कर रखे ताकि दस्तावेज सत्यापन हेतु इस कार्यलय द्वारा बुलाय जाने पर इसे प्रमाण के तौर पर देखा जा सके, बुलाय जाने पर प्रिंटआउट के साथ ही फीस की रसीद व शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी प्रमाण पत्र फोटो एवं आईकार्ड (आधार कार्ड) की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति लेकर उपस्थित होंगे, प्रिंटआउट/मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के बिना किसी भी उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि चयन के दौरान यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन होते हैं तो तदनुसार चयन का मापदंड अपनाया जाएगा।

निर्देश: ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सम्बंधित लिंक का एम्.पी.ऑनलाइन है पर क्लिक करने से पहले निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेजों को अपने पास तैयार रखे।

आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है की केवल विज्ञापन के अनुसार ही पात्र उम्मीदवार आवेदन करे, वह विज्ञापन नोटिस को ध्यान से पढ़ ले यदि उन्हें यह संतुष्टि है की वे आवेदन की योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तथा उनके पास आवेदन के समय सभी वांछित दस्तावेज हैं तो ही वे एम्.पी.ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करे, उम्मीदवार को अपना विवरण एक बार में ही भरना है वह इससे पूर्व पूर्ण रूप से भरने के उपरांत इसे प्रीव्यू में देख ले, डाटा ठीक से भरने क लिय Edit Option उपलब्ध है, फॉर्म सबमिट कर्ण क पश्चात एक रजिस्ट्रेशन संख्या आवंटित की जाएगी, भरे हुए आवेदन को प्रिंटआउट निकलकर अपने रिकॉर्ड और इस कार्यालय के भविष्य के प्रयोग के लिए अवश्य संभाल कर रखे, यह भी नोट करे की एक बार Submit Option क्लिक करने क बाद आवेदक अपन बायोडाटा का प्रीव्यू या Reset नहीं कर सकता है।

संलग्न: आवश्यक निर्देश

(अरुण अदलखा)

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) भोपाल

प्रतिलिपि:- महा.प्रबंधक (कार्मिक) जबलपुर/ मंडल रेल प्रबंधक कोटा, जबलपुर

प्रतिलिपि:- जिला नियोजन अधिकारी भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद को सूचनार्थ

प्रतिलिपि:- बी.टी.सी/टी.आर.एस इटारसी को सूचनार्थ

प्रतिलिपि:- वे.से.रे.म.संघ/वे.से.रे.एम्प.यूनियन/ओ.बी.सी/एस.सी.एस.टी. एसोसिएशन भोपाल को सूचनार्थ

प्रतिलिपि:- आर.डी.ए.टी. कानपुर को सूचनार्थ

प्रतिलिपि:- प्राचार्य आदर्श आई.टी.आई गोविन्दपुरा भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, गुना, शाजापुर खंडवा, हरदा को सूचनार्थ

प्रतिलिपि:- मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक कोटा, जबलपुर / मुख्य.कारखाना प्रबंधक निशातपुरा एवं समस्त शाखा अधिकारी भोपाल मंडल को सूचनार्थ

(अरुण अदलखा)

मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) भोपाल

